

प्रेस नोट-14.10.2020

(1). दिनांक 13.10.2020 को पूर्वाह्न में मुख्यालय 112 से सूचना प्राप्त हुई कि खरौंध कैमहा पुरवा जनपद चित्रकूट में एक 15 वर्षीय किशोरी द्वारा अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी पुलिस प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे एवं शव का पचायतनामा की कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा कराकर डाक्टरों के पैनल(जिसमें महिला डाक्टर भी हो) द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया तथा पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करायी गयी।

दिनांक 13.10.2020 को मृतका की मां की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 531/2020 धारा 305/341/376डी भादवि व 4 पोक्सो अधिनियम व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिलाधिकारी, प्रभारी पुलिस अधीक्षक व मेरे द्वारा पीड़ित परिवार से भेंट करके उनको हरसंभव मदद एवं अभियोग में निष्पक्ष वैधानिक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। वादी द्वारा नामित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के लिए दो क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की गयी थी जिसमें आज दिनांक 14.10.2020 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 नामजद व उसके साथी अभियुक्तगण 1.किसन पुत्र श्रीनिवास निवासी सैरयां थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 2. सतीश कचेर पुत्र रामविलास निवासी सैरयां थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट व 3. आशीष पुत्र लवलेश वर्मा निवासी कैमहा का पुरवा मजरा खरौंध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट की गिरफ्तारी की गयी है।

उपरोक्त प्रकरण में प्रभावी व समय से त्वरित कार्यवाही न करने के कारण प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री जयशंकर सिंह व चौकी प्रभारी सैरयां श्री अनिल कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। उनके परिवारीजनों द्वारा मृतका के शव का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया एवं पीड़िता के परिवार की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। नियमानुसार पीड़िता को आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है। उपरोक्त मुकदमा की विवेचना कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जायेगी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 08 अभियुक्तों से 90 लीटर कच्ची अवैध शराब व 29 क्वार्टर देशी शराब अवैध बरामद की गयी।

1). श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा खोही तिराहा सीतापुर से कल्लू प्रसाद पुत्र जौहरी निवासी मैनहाई सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 30 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 534/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

2). उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा डाट(रेलवे पुल) के नीचे भैरों पागा से अभियुक्त उमाकान्त निषाद पुत्र शंकरलाल निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 530/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

3). उ0नि0 श्री सत्यदेव यादव थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा छीबो से राजधर रैदास पुत्र गरीबदास निवासी छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 216/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

4). उ0नि0 श्री कन्हैया लाल पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा बिराउर से अभियुक्त रैदास पुत्र सरजू रैदास निवासी चिल्लीराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 217/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

5). उ0नि0 श्री बृजेश पाण्डेय थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा बरुआ मोड़ तिराहा से अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र सूरजभान निवासी रागौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 218/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

6). उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा बिराउर से अभियुक्त जितेन्द्र सोनकर पुत्र जगलाल निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 219/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

7). उ0नि0 श्री हरेन्द्र नाथ सिंह थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा लौरी तिराहा लौरी से से अभियुक्त मनीष शुक्ला पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी ग्राम भटरी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 29 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 124/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

8). उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा आईटीआई कालेज के पास से अभियुक्ता मुन्नी पत्नी लालजी निवासी सरहट थाना मानिकपुर को को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 136/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ द्वारा जनता में भय व्याप्त करने वाले 15 अभियुक्त 1. एचएस शिवमूरत पुत्र माताबदल निवासी बालापुर अहिरी 2. एचएस लोकनाथ पुत्र बुल्ला निवासी बालापुर अहिरी 3. चन्दा पुत्र धुन्धु निवासी छिवली 4. एचएस सन्तोष उर्फ बिहारी पुत्र जलंधर निवासी छिवाली 5. एचएस मूलचन्द्र पुत्र नत्थू निवासी सुरौधा 6. एचएस राममिलन पुत्र सूरजपाल निवासी सुरौधा 7. एचएस सन्तोष पुत्र विशम्भर निवासी सुरौधा 8. एचएस सुरेश पुत्र त्रिभुवन निवासी छिवलहा 9. सुरेश पटेल पुत्र वशीकरण निवासी गढ़वा 10. एचएस कल्लू उर्फ अरविन्द पुत्र रमाशंकर निवासी पूरबपताई 11. एचएस धनराज उर्फ पाण्डेय पुत्र रामफल निवासी गढ़वा 12. एचएस दिनेश गौतम पुत्र रामबहादुर निवासी बरियारी कला 13. एचएस राकेश पुत्र रोशन केवट निवासी छिवली 14. एचएस महेन्द्र उर्फ रज्जन मिश्रा पुत्र रमेश चन्द्र निवासी शिवपुर 15. एचएस भोकाल उर्फ त्रिपुरेश पुत्र उमाशंकर पाण्डेय निवासी मवईकला थाना मऊ जनपद चित्रकूट के विरुद्ध 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन मे उ0नि0 श्री रामकृपाल तथा उनकी टीम द्वारा बियावल पुल के पास से अभियुक्त शिवभोले निषाद उर्फ पिन्टू पुत्र वीरेन्द्र निषाद निवासी बियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट को पावर ट्रक ट्रैक्टर मय ट्राली सहित अवैध खनन कर राजस्व को क्षति पहुंचाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 215/2020 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 पंजीकृत किया गया। उपरोक्त ट्रैक्टर को 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया।

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामकृपाल थाना मऊ
2. आरक्षी अमित चौरसिया
3. आरक्षी शिवम मिश्रा
4. आरक्षी धर्मेन्द्र प्रजापति

(5). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री रामकृपाल थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 25/2011 धारा 3/25 आर्म्स के वारण्टी अभियुक्त शिवबाबू पुत्र लल्लू केवट निवासी काशीनाथ का पुरवा थाना मऊ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रामकृपाल थाना मऊ
2. आरक्षी अमित चौरसिया

(6). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कर्वी द्वारा 02 अभियुक्तों के कब्जे से 6 किलो सूखा गांजा नाजायज बरामद किया गया।

कोतवाली कर्वी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीमों द्वारा अभियुक्त 1. जयचन्द्र पुत्र चन्द्रराज उपाध्याय निवासी बरधवारा थाना राजापुर को 1 किलो सूखा गांजा व अभियुक्त 2. राजकिशोर पुत्र सरजू विश्वकर्मा निवासी सुरसेन थाना राजापुर को 5 किलो सूखा गांजा के साथ अमानपुर कपसेठी सिंचाई विभाग कालोनी के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 535/2020 धारा 8/2020 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार
3. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा
4. आरक्षी बृजेन्द्र कुमार
5. आरक्षी जितेन्द्र सर्विलांस सेल
6. आरक्षी रोहित सर्विलांस सेल